By Speed Post

सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. KS/3/2017/STGUL/SEOTH/RU-I

Date: 30/11/2017

To

1. The Additional Chief Secretary,
Public Works Department,
Govt. of Uttarakhand,
Secretariat,
Dehradun, Uttarakhand.

2. The Labour Commissioner,
Govt. of Uttarakhand,
Shram Bhawan,
Nainital Road, Haldwani,
Uttarakhand.

3. The Director,
M/s. Link Enterprises/RRC,
Basant Vihar, Railway Road,
Haridwar,
Uttarakhand.

4. The Senior Superintendent of Police,
Dehradun,
Dehradun GPO, District – Dehradun,
Dehradun – 248183 (Uttarakhand).

Sub: Representation dated 20/09/2017 received from Shri Khajan Singh, R/o Gram - Saavara, Post-Sujou, Tehsil-Chakrata, District Dehradun-248183 Uttarakhand regarding non-payment of arrear by the Contractor.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the minutes of Sitting held in the National Commission for Scheduled Tribes on 17/11/2017 on the above mentioned subject for immediate necessary action. Action Taken Report in this regard may be submitted to the Commission **within 15 days** positively.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director

Copy to:

Shri Khajan Singh,
R/o Gram - Saavara,
Post-Sujou, Tehsil-Chakrata,
District Dehradun-248183
Uttarakhand. (for information).

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Member, NCST
2. SAS NIC (for hosting on Commission's website)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- KS/3/2017/STGUL/SEOTH/RU-I)

श्री खजान सिंह, ग्राम- सावरा, पोस्ट- सुजोऊ, तहसील- चकराता, जिला देहरादून, उत्तराखंड को मुख्य ठेकेदार द्वारा मजदूरी का भुगतान नही किये जाने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 13.11.2017 और 17.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 13.11.2017 और 17.11.2017

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क' और परिशिष्ट 'ख'

1. श्री खजान सिंह, ग्राम- सावरा, पोस्ट- सुजोऊ, तहसील- चकराता, जिला देहरादून, उत्तराखंड ने ठेकेदार श्री अनिल जेटली, निवासी ज्वालापुर, वसंत विहार, हरिद्वार (कंपनी- लिंक इंटरप्राजेज) द्वारा मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने के मामले में दिनांक 20.09.2017 को आयोग मे अभ्यावेदन दिया। अभ्यावेदन में श्री खजान सिंह ने बताया कि उन्होंने ठेकेदार श्री अनिल जेटली, निवासी ज्वालापुर, वसंत विहार, हरिद्वार (कंपनी- लिंक इंटरप्राजेज) के साथ दो स्थलों पर रोड निर्माण कार्य किये थे, जिसमे उत्तरकाशी में 55 और देहरादून में 32 मजदूरों की मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। इस मद में श्री खजान सिंह का कुल 71 लाख रुपये का बकाया ठेकेदार श्री अनिल जेटली, निवासी ज्वालापुर, वसंत विहार, हरिद्वार (कंपनी- लिंक इंटरप्राजेज) के ऊपर है. अभ्यावेदक ने अभ्यावेदन में लिखा है कि जब भी वे उक्त ठेकेदार से पैसे माँगते हैं, वे उन्हें पैसे नहीं देते, जान से मारने की धमकी देते हैं और जातिसूचक अपमानजनक टिप्पणियाँ करते हैं. श्री खजान सिंह ने आयोग में अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया है.
2. आयोग ने अभ्यावेदन पर विचार करते हुए दिनांक 16.10.2017 को एक नोटिस भेज कर अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन, श्रम आयुक्त, उत्तराखंड और निदेशक, लिंक इंटरप्राइजेज से 15 दिनों के अन्दर जानकारी मांगी। इसके प्रत्युत्तर मे कोई जवाब नही आया। अभ्यावेदक ने आयोग से दुबारा न्याय दिलाने हेतु निवेदन किया। इस पर आयोग ने दिनांक 01.11.2017 को सिटिंग नोटिस जारी कर मामले मे चर्चा के लिए अतिरिक्त

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन, श्रम आयुक्त, उत्तराखंड और निदेशक, लिंक इंटरप्राइजेज को दिनांक 13.11.2017 को आयोग मे बुलाया। पुनः दिनांक 07.11.2017 को सिटिंग को स्थगित करते हुए अगली तिथि दिनांक 17.11.2017 को निर्धारित करने संबंधी नोटिस सभी सम्बंधित को भेजी गई.

3. बैठक मे चर्चा के लिए दिनांक 13.11.2017 को डॉ. आनंद श्रीवास्तव, श्रम आयुक्त, उत्तराखंड और ठेकेदार श्री अनिल जेटली, निवासी ज्वालापुर, वसंत विहार, हरिद्वार (कंपनी- लिंक इंटरप्राजेज) के प्रतिनिधि के रूप में श्री बसंत वर्मा, अधिवक्ता उपस्थित हुए ।
4. चूंकि सीटिंग की तिथि परिवर्तित हो चुकी थी किन्तु सम्बंधित पक्षों की उपस्थिति को देखते हुए माननीय उपाध्यक्षा महोदया ने इसी दिन यानी दिनांक 13.11.2017 को बैठक करने का सुझाव दिया. आयोग ने अभ्यावेदक से अपनी समस्या स्पष्ट करने हेतु कहा जिस पर श्री खजान सिंह, ने अवगत कराया कि उन्होंने ठेकेदार श्री अनिल जेटली, निवासी ज्वालापुर, वसंत विहार, हरिद्वार (कंपनी- लिंक इंटरप्राजेज) के साथ दो जगह रोड निर्माण का कार्य किया था. इसके एवज में 71 लाख रुपये का बकाया उक्त ठेकेदार के ऊपर उनका रह गया है, जिसका भुगतान उक्त ठेकेदार श्री अनिल जेटली, निवासी ज्वालापुर, वसंत विहार, हरिद्वार (कंपनी- लिंक इंटरप्राजेज) नहीं कर रहे है. इस वजह से उत्तरकाशी में 55 और देहरादून में 32 मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सका है. अभ्यावेदक ने बताया कि जब भी वे उक्त ठेकेदार से पैसे माँगते हैं, वे उन्हें पैसे नहीं देते, जान से मारने की धमकी देते हैं और जातिसूचक अपमानजनक टिप्पणियाँ करते हैं.
5. आयोग ने श्रम आयुक्त, उत्तराखंड से इस सम्बन्ध में जानना चाहा कि विभागीयस्तर पर क्या कदम उठाया गया है. श्रम आयुक्त ने आयोग को अवगत कराया कि यह मामला उनके पास भी है और इस सम्बन्ध में श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा भी दो बार सीटिंग की जा चुकी है. किन्तु उक्त ठेकेदार श्री अनिल जेटली, निवासी ज्वालापुर, वसंत विहार, हरिद्वार (कंपनी- लिंक इंटरप्राजेज) किसी भी सीटिंग में उपस्थित नहीं हुए.
6. आयोग ने ठेकेदार श्री अनिल जेटली, निवासी ज्वालापुर, वसंत विहार, हरिद्वार (कंपनी- लिंक इंटरप्राजेज) के प्रतिनिधि से जानना चाहा तो वे इस मामले में कोई ठोस और संतोषजनक उत्तर नही दे पाए.
7. आयोग ने उक्त ठेकेदार की अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया और उनके प्रतिनिधि को सुझाव दिया कि अगली सीटिंग जो दिनांक 17.11.2017 को है उसमें उन्हें उपस्थित होने की सलाह दें. साथ ही आयोग ने अगली तिथि को सभी

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सम्बंधित पक्षों को उपस्थित होना सुनिश्चित किये जाने का सुझाव दिया ताकि मामले का निवारण शीघ्र हो सके.

8. दिनांक 17.11.2017 को आयोग में अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन की ओर से श्री विनय अरोड़ा, उप महाधिवक्ता; श्री आशुतोष कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड; श्री विपिन कुमार, उप श्रम आयुक्त, उत्तराखंड; श्री गगन सिंह श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उतराखंड उपस्थित हुए. इस सीटिंग में भी ठेकेदार श्री अनिल जेटली, निवासी ज्वालापुर, वसंत विहार, हरिद्वार (कंपनी- लिंक इंटरप्राजेज) उपस्थित नही हुए जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया.

9. आयोग ने अभ्यावेदक से अपना पक्ष रखने को कहा जिसपर श्री खजान सिंह, ने अवगत कराया कि उन्होंने ठेकेदार श्री अनिल जेटली, निवासी ज्वालापुर, वसंत विहार, हरिद्वार (कंपनी- लिंक इंटरप्राजेज) के साथ दो जगह रोड निर्माण का कार्य किया था. इस कार्य के लिए उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रेक्ट पर हस्ताक्षर भी किये गए हैं. इसके एवज में 71 लाख रुपये का बकाया उक्त ठेकेदार के ऊपर उनका रह गया है, जिसका भुगतान उक्त ठेकेदार श्री अनिल जेटली, निवासी ज्वालापुर, वसंत विहार, हरिद्वार (कंपनी- लिंक इंटरप्राजेज) नहीं कर रहे है. इस वजह से उत्तरकाशी में 55 और देहरादून में 32 मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सका है. अभ्यावेदक ने बताया कि जब भी वे उक्त ठेकेदार से पैसे माँगते हैं, वे उन्हें पैसे नहीं देते, जान से मारने की धमकी देते हैं और जातिसूचक अपमानजनक टिप्पणियाँ करते हैं. अभ्यावेदक ने इस सम्बन्ध में यह भी बताया कि बकाया पैसे के सम्बन्ध में ठेकेदार के साथ उनका समझौता पत्र भी बना हुआ है. उन्होंने मामले की शिकायत लोक निर्माण विभाग और श्रम आयुक्त को भी की है. किन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा अब तक उक्त ठेकेदार पर कोई कार्यवाई नहीं की गई है. साथ ही उसके भुगतान भी नियमित रुप से किये जा रहे हैं जबकि श्रम आयुक्त और लोक निर्माण विभाग में लंबित प्रकरण के मामले में इसे रोका जाना था.

10. आयोग ने बैठक में उपस्थित अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन की ओर से श्री विनय अरोड़ा, उप महाधिवक्ता; श्री आशुतोष कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड; श्री विपिन कुमार, उप श्रम आयुक्त, उत्तराखंड; श्री गगन सिंह श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उतराखंड से मामले में अपना पक्ष रखने को कहा.

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

11. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन की ओर से उपस्थित श्री विनय अरोड़ा, उप महाधिवक्ता ने आयोग को अवगत कराया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जो कार्य कराया गया है उसके ठेकेदार आर.आर.सी लिंक (जे वी) रेलवे रोड, हरिद्वार है. इस संयुक्त उपक्रम फर्म के लीड पार्टनर आर.आर. कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है तथा इसके सेकेण्ड पार्टनर लिंक इंटरप्राइजेज है जिसके मैनेजिंग पार्टनर श्री अनिल जेटली हैं. चूंकि श्री खजान सिंह का नाम हमारे रिकॉर्ड में कही भी सब कॉन्ट्रेक्टर के रूप में उपलब्ध नहीं है और ना ही खजान सिंह के नाम कोई कार्य का जिक्र है. अतः श्री खजान सिंह की शिकायत का सम्बन्ध दो निजी लोगों के बीच का व्यावसायिक मामला है जिसमें लोक निर्माण विभाग की कोई त्रुटि नहीं है. उन्होंने यह भी स्वीकृति जताई कि यदि ठेकेदार श्री अनिल जेटली के द्वारा श्री खजान सिंह का कोई पैसा बकाया प्रमाणित पाया जाता है तो कॉन्ट्रेक्टर के सिक्योरिटी डिपौजिट राशि जो कुल कॉन्ट्रेक्ट की राशि का 10% होता है में से उक्त बकाये का भुगतान किया जा सकता है.

12. उप श्रमायुक्त, उत्तराखंड ने आयोग को अवगत कराया कि यह मामला उनके पास है और इस सम्बन्ध में श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा भी दो बार सीटिंग की जा चुकी है. किन्तु उक्त ठेकेदार श्री अनिल जेटली, निवासी ज्वालापुर, वसंत विहार, हरिद्वार (कंपनी- लिंक इंटरप्राजेज) किसी भी सीटिंग में उपस्थित नहीं हुए. अगली सीटिंग दिनांक 21.11.2017 को नियत है. इसमें इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाई की जानी है.

13. आयोग ने मामले में सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों को परखने के पश्चात् यह पाया कि दोनों पक्षों के बीच का मामला केवल दो निजी पक्षों का व्यावसायिक मामला नहीं है. क्योंकि श्री खजान सिंह के किये कार्यों को लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया है. साथ ही दोनों के बीच एक समझौते के द्वारा कार्य का कॉन्ट्रेक्ट किया गया है. अभ्यावेदक श्री खजान सिंह के बकाये राशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की मजदूरी भुगतान में किया जाना है. आयोग ने यह भी पाया कि लगातार आयोग और श्रम आयुक्त की सीटिंग से ठेकेदार श्री अनिल जेटली की अनुपस्थिति भी इस मामले में गंभीर है. अतः आयोग यह अनुशंसा करता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त ठेकेदार और उनके संयुक्त उपक्रम को किसी प्रकार के भुगतान को तत्काल प्रभाव से रोके और जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता है, उक्त कंपनी और ठेकेदार के साथ कोई भी कॉन्ट्रेक्ट या भुगतान कार्य का सम्पादन नही किया जाय. साथ ही

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि श्रम आयुक्त दिनांक 21.11.2017 को नियत सीटिंग की कार्यवाई से आयोग को तत्काल अवगत कराएं. साथ ही आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि यदि मुख्य ठेकेदार श्री अनिल जेटली अभ्यावेदक श्री खजान सिंह के बकाये राशि का भुगतान 15 दिन के अन्दर नहीं करते तब ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रेक्टर के सिक्योरिटी डिपौजिट राशि जो कुल कॉन्ट्रेक्ट की राशि का 10% होता है में से उक्त बकाये का भुगतान सम्बंधित विभाग श्री खजान सिंह को नियमानुकूल करे. इसमे विफलता सिद्ध होने पर आयोग सभी सम्बंधित पक्षों को सम्मन जारी कर आयोग में उपस्थित करने का आदेश देगा. साथ ही साथ चूंकि बकाये राशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति के मजदूरों की मजदूरी के भुगतान में किया जाना है और प्रतिवादी द्वारा इसे रोक कर रखा गया है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के मजदूरों के प्रति अत्याचार की श्रेणी में आता है. ऐसी स्थिति में यदि इस राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा तक नहीं किया जाता तब आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सम्बंधित प्रतिवादी पर कार्यवाई की अनुशंसा करेगा.

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- KS/3/2017/STGUL/SEOTH/RU-I)

श्री खजान सिंह, ग्राम- सावरा, पोस्ट- सुजोऊ, तहसील- चकराता, जिला देहरादून, उत्तराखंड द्वारा ठेकेदार द्वारा मजदूरी का भुगतान नही किये जाने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 17.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी,उप सचिव
3. श्री राजेश्वर कुमार, सहायकनिदेशक
4. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
5. श्री एच.आर. मीणा, वरिष्ठ अन्वेषक

उत्तराखंड सरकार के अधिकारी

1. श्री आनंद श्रीवास्तव, श्रम आयुक्त

लिंक इंटरप्राइजेज के प्रतिनिधि

1. बसंत वर्मा, अधिवक्ता

अभ्यावेदक

1. श्री खजान सिंह

परिशिष्ट- ख

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- KS/3/2017/STGUL/SEOTH/RU-I)

श्री खजान सिंह, ग्राम- सावरा, पोस्ट- सुजोऊ, तहसील- चकराता, जिला देहरादून, उत्तराखंड द्वारा ठेकेदार द्वारा मजदूरी का भुगतान नही किये जाने के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक17.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
3. श्री राजेश्वर कुमार, सहायकनिदेशक
4. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
5. श्री एच.आर. मीणा, वरिष्ठ अन्वेषक

उत्तराखंड सरकार के अधिकारी

1. श्री विनय अरोड़ा, उप महाधिवक्ता; श्री अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन की ओर
2. श्री आशुतोष कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड; श्री
3. विपिन कुमार, उप श्रम आयुक्त, उत्तराखंड;
4. श्री गगन सिंह श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उतराखंड आनंद श्रीवास्तव, श्रम आयुक्त

अभ्यावेदक

1. श्री खजान सिंह